

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं 1476 19।

आवेदन सं 19

मुक्ति श्री श्री गणेश कुमार ने मेरे पास आये कि मैं कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
 इसलिखित में इसके द्वारा प्रमाणित करता है कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों में कोई भी नहीं है और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों से ता. 9.10.14 से ता. 19 से ता. 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चलता है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	प्लॉट के नाम		दस्तावेज की प्र. सं. के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भूजा - 340/1		ती. 31	खान		खान		
	भूजा गोपाल 32		308	72	713			
	भूजा 10 102			70	714			
	जिला पटना			74	729			
				85	730			

240/1
 96 वि. सं.

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. संपत्ति-पत्र की दशा में प्लाज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त सख्तबहार और अन्धारी को छोर, उक्त सम्पत्ति को प्रभात करने वाले किसी अन्य सख्तबहार और अन्धारी का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलारी की और प्रमाण-पत्र तयार किया

(हस्ताक्षर) -

मो (जान फाल)

(पदनाम) -

25-6-19

तलारी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) -

Handwritten signature

(पदनाम) -

कार्यालय

अवर निबंधक, पुलिस कार्यालय, पटना

महोदय



महोदय

अवर निबंधक
पुलिस कार्यालय, पटना

25-6-19

- टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो सख्तबहार और अन्धारी दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों में प्रमाणित सख्तबहार (दस्तावेज) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अर्थों में जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपि देकरना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें प्रतिलिपि संपत्तियों को अन्धारी के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। प्रतिलिपि का मुआयना करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
- किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने तलारी अपने परसक सावधानी से की है। फिर भी, निम्न प्रमाण-पत्र में दिये गये तलार प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अप्रतिष्ठित तलारी स्वयं की है और यदि उसके द्वारा सख्तबहार और अन्धारी को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न दिये गये सख्तबहार और अन्धारी को नष्ट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आपक 1476 दिनांक 25-6-19

प्रतिलिपि - कार्यालय अवर निबंधक SBI, RAEP, Patna को प्रेषित

अवर निबंधक
पुलिस कार्यालय, पटना
25-6-19